संख्या वे0आ0–2–2054/ दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में राजकीय विभागों के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :––

(1) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के वेतनमान रू0 2610–3540 तथा 2650–4000 के पदों को वेतनमान रू0 2750–4400 के स्तर पर उच्चीकृत करते हुए सादृश्य वेतन बैण्ड–1 तथा ग्रेड वेतन रू0 1800 स्वीकृत किया जाये। भविष्य में उक्त श्रेणी के पदों पर कक्षा–8 उत्तीर्ण तथा आई0टी0आई0 के प्रमाण पत्र के अर्हताधारियों की ही नियुक्त किया जाये। ऐसे प्राविधिक पद जिनके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यों के विषय से सम्बन्धित ट्रेड आई0टी0आई में न हो उन विषयों से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियों के लिये भारत सरकार द्वारा SKIILL DEVELOPMENT INITIATIVE SCHEME (SDIS) BASED ON MODULAR EMPOYABLE SKILLS (MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जाये।

(2) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के सम्बन्ध में वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर वेतनमान रू0 3050–4590, 4000–6000 तथा 4500–7000 के पदों के लिये निर्धारित की गयी शैक्षिक अर्हता तथा भर्ती की विधियों एवं वेतनमानों को यथावत बनाये रखा जाये।

(3) उपर्युक्तानुसार वेतनमानों का उच्चीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाये।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या—वे0आ0—2—2054(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 59 सा0 वित्त—10—9—2010—(1005)—2000 प्रतियां—(कम्प्यु0/टी/आफसेट)।